राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सार्वजनिक सूचना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित दिल्ली के छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि वे छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड बनवा लें और आधार संख्या को अपने बैंक एकाउंट से लिंक करा लें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित छात्रों के कल्याण के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वचन कर रही है:-

राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएं:-

1. एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों को स्टेशनरी क्रय हेतु आर्थिक सहायता
2. स्कूलों में एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप/मेरिट स्कॉलरशिप
3. कॉलेज/प्रोफेशनल/तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों को मेरिट स्कॉलरशिप
4. सार्वजनिक/निजी स्कूलों में एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति
5. एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर टॉपर्स पुरस्कार

केंद्रीयकृत प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएं:-

1. एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
2. ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
3. एससी छात्रों के लिए प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप
4. ओबीसी छात्रों के लिए प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप
5. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप
6. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
7. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मेधा सह साधन स्कॉलरशिप

वर्ष 2016-17 के लिए समस्त राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं को **एनआईसी की ई-डिस्ट्रिक्ट** पोर्टल पर शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

वैसे सभी छात्र जो उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपना आधार कार्ड बनवाना एवं उनके आधार संख्या के साथ जुड़े हुए बैंक एकाउंट का होना आवश्यक है। उसके बाद, छात्रों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले अपने आधार और लिंक किए गए बैंक एकाउंट की स्थिति वेबसाइट **https://uidai.gov.in** पर जांच लें जिससे लाभार्थी के खाते में राशि का भुगतान त्वरित और निबधि रूप से किया जा सके।

स्कूल/कॉलेज/संस्थानों के प्रमुखों एवं छात्रों के अभिभावकों को इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

(सचिव)

DIP/Shabdarth/2105/16-17

दैनिक जागरण - 23 अक्टूबर, 2016 (पृष्ठ सं. 8)